न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 65/2019 (Bank Case)

कैन फिन होम्स लिमिटेड शाखा – 1–सी–18, एसएफएस, प्रथम तल, फ्रंट साइड, शीला चौधरी रोड, कैडिटर तलवंडी, कोटा जरि प्राधिकृत अधिकारी

– प्रार्थी बैंक.

बनाम

1. श्रीमति डीम्पल खींची पत्नि श्री गुमानसिंह, मकान नं0 ए–19/बी, (कॉर्नर), खसरा नं. 41, उज्जवल बिहार, गांव देवली अरब, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0) **(अप्रार्थी ऋणी व बंधककर्ता)**
2. श्री गुमान सिंह पुत्र श्री देव सिंह, मकान नं0 ए–19/बी, (कॉर्नर), खसरा नं. 41, उज्जवल बिहार, गांव देवली अरब, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0) **(ऋणी व बंधककर्ता)**
3. श्री राहुल सिंह पुत्र स्व0 श्री बलवन्त सिंह, क्वार्टर नं. 41, सेन्टर जैल, आवासीय परिसर, नयापुरा जिला कोटा (राज0) **(गारंटर)**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 (1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

उपस्थित

1. श्री अमर सिंह नरूका, अधिवक्ता, बैंक की ओर से

निर्णय

दिनांक: 12.06.2019

प्रार्थी कैन फिन होम्स लिमिटेड शाखा – 1–सी–18, एसएफएस, प्रथम तल, फ्रंट साइड, शीला चौधरी रोड, कैडिटर तलवंडी, कोटा से अप्राथीगण ने दिनांक 22.06. 2017 को 25,00,000/– (अक्षरे: रूपय पच्चीस लाख, मात्र) एवं द्वितीय ऋण दिनांक 16. 10.2017 को 7,00,000/– (अक्षरे: रूपये सात लाख मात्र) कुल रू0 32,00,000/–(अक्षरे: बत्तीस लाख मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी सं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति मकान नं0 ए–19/बी (कॉर्नर) खसरा नं0 41 उज्जवल बिहार, गांव देवली अरब, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0) स्थित आवासीय सम्पत्ति जिसका क्षैत्रफल 97.22 वर्गगज है जो रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.7.2017 से अप्रार्थीगण श्रीमति डीम्पल खींची पत्नि श्री गुमान सिंह एवं श्री गुमान सिंह पुत्र श्री देवसिंह के नाम है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण का खाते को दिनांक 31.12.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण द्वारा उसके खाते मे 33,22,326/– रूपये (अक्षरे रूपये तैंतीस लाख, बाईस हजार, तीन सौ छब्बीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 07.01.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र हाडौती केसरी में दिनांक 15.**

जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

02.2019 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र 'The Economic Times " में दिनांक 15.2.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र हाडौती केसरी में दिनांक 15.02.2019 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र 'The Economic Times " में दिनांक 15.2.2019 को प्रकाशन भी कराया** इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र हाडौती केसरी में दिनांक 15.02.2019 एवं अंग्रेजी समाचार पत्र 'The Economic Times" में दिनांक 15.2.2019 को प्रकाशन भी कराया** इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । **अचल सम्पत्ति मकान नं0 ए–19/बी (कॉर्नर) खसरा नं0 41 उज्जवल बिहार, गांव देवली अरब, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0) स्थित आवासीय सम्पत्ति जिसका क्षैत्रफल 97.22 वर्गगज है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12. 7.2017 से अप्रार्थीगण श्रीमति डीम्पल खींची पत्नि श्री गुमान सिंह एवं श्री गुमान सिंह पुत्र श्री देवसिंह के नाम है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायद्दा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 12.06.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner